

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01032021-225568
SG-DL-E-01032021-225568

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2021/ फाल्गुन 7, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 347
No. 75]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2021/ PHALGUNA 7, 1942	[N. C. T. D. No. 347

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

फा.सं. एए/डीओटीसी/2017/एचबीएसी/3043/107-116.— मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में तथा यकृत एवं पैक्तिक विज्ञान संस्थान, डी-1, वसन्त कुंज, नई दिल्ली के संबंध में दिनांक 20 जनवरी, 2014 की एसओ 217(अ) के अनुसार भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा यकृत एवं पैक्तिक विज्ञान संस्थान, डी-1, वसन्त कुंज, नई दिल्ली के लिए अधिसूचना की तिथि से अस्पताल आधारित प्राधिकार समिति का पुर्नगठन करते हैं, समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :-

1.	मुख्य संचालक (चिकित्सा) यकृत एवं पैत्तिक विज्ञान संस्थान वसन्त कुंज, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पेशा कर्करोग विज्ञान यकृत एवं पैत्तिक विज्ञान संस्थान वसन्त कुंज, नई दिल्ली	सदस्य
3.	डॉ० रमन कुमार, सीएमओ यकृत एवं पैत्तिक विज्ञान संस्थान वसन्त कुंज, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री डी.एस. नेगी भूतपूर्व प्रधान सचिव (स्वा० एवं परि०कल्या०) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
5.	डॉ० (श्रीमती) वेद गुप्ता सेवानिवृत्त निदेशक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना	सदस्य
6.	सचिव (स्वास्थ्य) अथवा नामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नौवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली.	सदस्य
7.	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं का नामिती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अस्पताल सैल, एफ-17, कड़कड़डूमा, दिल्ली -32	सदस्य

यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

अजय बिष्ट, उप सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd February, 2021

F. No. AA/DOTC/2017/HBAC/3043/107-116.— In accordance with clause (b) of sub-section (4) of section 9 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994) read with rule 12 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3, Sub-section (ii), vide No. S.O. 217(E) dated 20th January, 2014 in so far as it relates to Institute of Liver & Biliary Sciences, D-I, Vasant Kunj, New Delhi., Hon'ble Health Minister, GNCT of Delhi hereby reconstitutes the Hospital Based Authorization Committee for Institute of Liver & Biliary Sciences, D-I, Vasant Kunj, New Delhi, consisting of the following persons with effect from the date of notification namely:

1.	Head Operations (Medical) Institute of Liver & Biliary Sciences, Vasant Kunj, New Delhi	Chairman
2.	Prof. Hanuman Prasad, Profession Oncology, Institute of Liver & Biliary Sciences New Delhi	Member

3.	Dr. Raman Kumar, CMO Institute of Liver & Biliary Sciences New Delhi	Member
4.	Sh. D.S. Negi, Former Pr. Secretary (H&FW), GNCT of Delhi	Member
5.	Dr. (Mrs) Ved Gupta Retired Director Central Government Health Scheme	Member
6.	Secretary (Health) or Nominee Government of National Capital Territory of Delhi 9 th Floor, Delhi Secretariat, New Delhi	Member
7.	Director General Health Services or Nominee Govt. of National Capital Territory of Delhi Hospital Cell, F-17, Karkardooma, Delhi	Member

This issue with the prior approval of Hon'ble Minister of Health, GNCTD.

AJAY BISHT, Dy. Secy.